भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4011
25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: केरल में पीएम-किसान के लाभार्थी

4011. डॉ. शशि थरूर:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या केरल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के पात्र लाभार्थियों में वर्ष 2022 के प्रारंभ से वर्ष 2024 के अंत तक कमी किए जाने के बारे में कोई मात्रात्मक और गुणात्मक आंकड़े उपलब्ध है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) वर्ष 2022 की शुरुआत से नवंबर 2024 तक अपात्र लाभार्थियों की संख्या कितनी है और इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;
(घ) लाभार्थियों की संख्या में हुए इस परिवर्तन में पीएम-किसान हेतु क्या निहितार्थ हैं;
(ङ) केरल की अपेक्षाकृत कम संख्या (18 प्रतिशत कृषि परिवार) की तुलना में उच्च कृषि निर्भरता वाले राज्यों में लाभार्थी अनुपात के संबंध में तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं और इस संबंध में संभावित सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है;
(च) क्या सरकार ने इसमें अनियमितताओं का पता लगाने के लिए कोई तंत्र कार्यान्वित किया है; और
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (छ): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2019 में कृषि योग्य भूमिधारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था । इस योजना के तहत, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ बिना किसी बिचौलियों की भागीदारी के देश भर के सभी किसानों तक पहुंचे । लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने योजना की शुरुआत से अब तक 19

किस्तों में रुपये 3.68 लाख करोड़ से अधिक का वितरण किया है। जिसमें से 11,806.93 करोड़ रुपये केरल के लाभार्थियों को रिलीज किए गए।

इस योजना का लाभ पीएम-किसान पोर्टल पर राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सत्यापित विवरण के आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से लाभार्थियों को अंतरित किया जाता है। यह योजना शुरू में एक ट्रस्ट-आधारित प्रणाली पर शुरू हुई थी, जहाँ लाभार्थियों को राज्यों द्वारा स्व-प्रमाणन के आधार पर पंजीकृत किया गया था। शुरुआत में, कुछ राज्यों के लिए आधार सीडिंग में भी छूट दी गई थी। बाद में, इसके निवारण के लिए, पीएफएमएस (PFMS), यूआईडीएआई (UIDAI) और आयकर विभाग के साथ एकीकरण सहित कई तकनीकी हस्तक्षेप शुरू किए गए। इसके अलावा, आधार आधारित भुगतान और ई-केवाईसी के साथ भूमि सीडिंग को अनिवार्य कर दिया गया। इन अनिवार्य मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले किसानों को लाभ मिलना बंद हो गया। जैसे ही ये किसान अपनी अनिवार्य आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं, उन्हें योजना का लाभ उनके देय किश्तों के साथ, यदि कोई हो, प्राप्त होगा।

इस प्रक्रिया में राज्यों में, 12वीं किस्त की अवधि में योजना में लाभान्वित होने वाले कुल लाभार्थियों की संख्या कम हो गई। यह कमी उन राज्यों में नाममात्र थी, जिन्होंने सक्रिय रूप से उपयुक्त उपाय किए और उपर्युक्त अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा किया। केरल राज्य के लिए लाभार्थियों की संख्या 11वीं किस्त चक्र (अप्रैल- जुलाई 2022) के दौरान 34.62 लाख से घटकर 12वीं किस्त चक्र (अगस्त-नवंबर 2022) के दौरान 20.01 लाख हो गई, क्योंकि राज्य केवल 20.01 लाख लाभार्थियों के लिए भूमि सीडिंग पूरा कर पाए। 19वीं किस्त चक्र (दिसंबर 2024-मार्च 2025) में केरल में लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 28.78 लाख हो गई।

मंत्रालय अक्सर राज्य सरकारों के साथ समन्वय में सेचुरेशन अभियान चलाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र किसान इस योजना से वंचित न रह जाए। सभी पात्र किसानों को योजना से जोड़ने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई) के तहत 15 नवंबर, 2023 से प्रमुख राष्ट्रव्यापी सेचुरेशन अभियान शुरू किया गया। देश भर में वीबीएसवाई अभियान के दौरान 1.0 करोड़ से अधिक किसानों को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, नई सरकार की 100 दिनों की पहल के तहत, पीएम-किसान योजना के तहत लगभग 25 लाख और पात्र किसानों को पीएम-किसान योजना में जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त, स्व-पंजीकरण के लंबित मामलों को निपटाने के लिए सितंबर, 2024 से एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत शुरू से लेकर अब तक, राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 30 लाख से अधिक लंबित स्व-पंजीकरण मामलों को मंजूरी दी गई है। इन प्रयासों से केरल में इस योजना में 4.70 लाख से अधिक नए किसानों को जोड़ा गया है।

इन प्रयासों से पीएम-किसान की 19वीं किस्त जारी होने के दौरान 9.8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 22,000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ प्राप्त हुआ।

*****